कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट - II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी -35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प. -II)/पी.सी.III/ विविध पत्राचार/ **दिनांक: / /2025**

परिपत्र

विषय : Option to avail benefits under old pension scheme on death of Government Servant during service or his discharge from Gevernemt Service on account of invalidation or disability for Central Government servants covered under Unified Pension Scheme के सम्बन्ध में |

कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किये गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों के नियम 10, में एनपीएस के अंतर्गत कवर किये गए केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी के लिए, सेवा के दौरान मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की दशा में, एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अधीन हितलाभ प्राप्त करने लिए विकल्प का प्रावधान है | चूँकि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया गया है। अत:, उक्त विभाग/मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी भी, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की दशा में, यूपीएस या सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीएसएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन करने के लिए पात्र होंगे।

इस विषय पर, सम्पूर्ण जानकारी हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के **कार्यालय ज्ञापन सं. 57/01/2025-P&PW (B)/UPS/10498 दिनांक 18.06.2025** की प्रति संलग्नित है, जिसे सम्बंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है | कार्यालय के सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह उपर्लिखित कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए तदनुसार नियमानुसारआवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें |

यह परिपत्र वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/पी. सी. अनुभाग

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प. -II)/पी.सी.III/ विविध पत्राचार/TR-165 **दिनांक:** 11/8 **/2025**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/AMG-II एवं प्रशासन
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/AMG-III
3. उपमहालेखाकार/ AMG-IV
4. उपमहालेखाकार/ AMG-I, शाखा कार्यालय- प्रयागराज
5. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ. प्र., लखनऊ
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी कंट्रोल/ AMG-I/ AMG-II/ AMG-III/ AMG-IV
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/जी. डी./आई.टी.ए./रिपोर्ट-I/रिपोर्ट-II/राजस्व रिपोर्ट/ एन. आर.ए./डी.सी.आर.ए./जी.पी.एफ.आर./ एवं आई. टी. सेल अनुभाग को इस आशय से प्रेषित है कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ, कार्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें |
8. नोटिस बोर्ड

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पी. सी. अनुभाग